न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
सत्र परीक्षण संख्या–887/2022
राज्य प्रति बनवारीलाल आदि

अपराध संख्या–125/2004
धारा 147, 148, 307/149,
323/149, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना–छाता, जिला मथुरा।

<u>आरोप</u>

मैं, राजीव भारती, सत्र न्यायाधीश, मथुरा आप अभियुक्तगण बनवारीलाल, देवीराम, दुल्ली, तेजवीर, मोहन सिंह, प्रेमराज, दीनदयाल, श्यामवती, श्रीमती राजवाला, किरन, चेतराम, दिगम्बर, भरतलाल, मेवाराम, जयराम व तुल्लाराम पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ–

यह कि दिनांक 21.06.2004 को समय सायं करीब 5.30 बजे, स्थान पेप्सी फैक्ट्री के सामने एन.एच. 2 बहद ग्राम दौताना अंतर्गत थाना छाता, जिला मथुरा में आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुए, सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बलवा किया। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर, आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुए, लाठी, डण्डा, फरसा, सरिया, तमंचा जैसे घातक आयुधों से सज्जित होकर, सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बलवा किया। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में, इस ज्ञान तथा आशय से ऐसी परिस्थितियों में वादी भगवत दयाल के चचेरे भाई भागीरथ व अन्य देवीराम, प्रकाश, भागीरथ पुत्र पूरन व मनोज को जान से मारने की नीयत से, लाठी–डण्डों से मारपीट कर चोटें पहुंचायी व उन पर फायरिंग की, कि यदि उक्त कृत्य से उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तो आप उसकी हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/149 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में, वादी भगवत दयाल के चचेरे भाई भागीरथ व अन्य देवीराम, प्रकाश, भागीरथ पुत्र पूरन व मनोज के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए उन्हें स्वेच्छया साधारण चोटें पहुँचाईं। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/149 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

Digitally signed by RAJEEV BHARTI
Date: 2022.08.30 16:20:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में, वादी भगवत दयाल के चचेरे भाई भागीरथ व अन्य देवीराम, प्रकाश, भागीरथ पुत्र पूरन व मनोज को गाली गलौज देकर उन्हें अपमानित किया, जिससे लोक शान्ति भंग का अन्देशा उत्पन्न हो गया। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में, वादी भगवत दयाल के चचेरे भाई भागीरथ व अन्य देवीराम, प्रकाश, भागीरथ पुत्र पूरन व मनोज को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त आरोप हेतु आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–30.08.2022

(राजीव भारती)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
आई०डी०क्रमांक–6547

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक–30.08.2022

(राजीव भारती)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
आई०डी०क्रमांक–6547